Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 13/April/2024 IJRAW: 2024; 3(5):152-155 Accepted: 25/May/2024

अंतरजातीय विवाह, समाज और कानूनी वैधता

*[1]डॉ. राजेश कुमार मीणा

*[1]सह–आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

वैदिक युग मे यद्यपि जाति व्यवस्था नहीं थी सामाजिक संस्तरण वर्ण व्यवस्था पर आधारित था विवाह सम्बन्धों में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों द्वारा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते थें शूद्र तथा अस्पृथ्यों से खानपान तथा विवाह सम्बन्ध नहीं रखें जाते थे प्राचीन समय में अनुलोम विवाह समाज द्वारा मान्य था लेकिन प्रतिलोम विवाह के प्रति सामाजिक स्वीकृति नकारात्मक रही थी उनसे उत्पन्न सन्तानों की स्थिति भी सम्मान जनक नहीं रही वर्तमान समय में अन्तर्विवाह के स्थान पर अन्तरजातीय विवाह करने की प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है भारत में 1949 के हिन्दू वैधता अधिनियम के बनने से अनुलोम और प्रतिलोम दोनो ही प्रकार के विवाहों को वैध मान लिया गया था लेकिन देष के विभन्न हिस्सों में अन्तरजातीय विवाह करने वाले युग्मों पर समाज के सदस्यों द्वारा अत्याचार, प्रताड़ित करने एवं जाति से बहिष्कार करने की घटनायें होती रही हैं। आज भी अन्तरजातीय विवाह करने वाली स्त्री को विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं सामाजिक निन्दाओं का सामना करना पड़ता है अब विषेष विवाह अधिनियम 1954 में अन्तरजातीय विवाह को पूर्ण मान्यता एवं युग्मों को संरक्षण मिलने पर भी वर्तमान समय में भी अन्तरजातीय विवाह को समाज के सदस्यों द्वारा सहज स्वीकार नहीं करने की समस्या साधारणत देखने को मिलती है।

इस शोध पत्र में अंतरजातीय विवाह का अध्ययन कानूनी वैधता और समाज के लोगों का अंतरजातीय विवाह के प्रति क्या दृष्टि है इसका अध्ययन किया जा रहा हैं।

मुख्य शब्दः अन्तरजातीय विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह, अन्तर्विवाह।

1. प्रस्तावना

परम्परागत दृष्टिकोण से विवाह का आदर्श अन्तर्विवाह माना जाता था अर्थात जाति के सदस्य को अपनी ही जाति में विवाह सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता था। अब अन्तर्विवाह के स्थान पर अन्तरजातीय विवाह करने की प्रवृति विकसित होती जा रही है। अन्तरजातीय विवाह का अर्थ दो भिन्न जातियों के पुरूष और स्त्री में विवाह होना है। समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत में अति–प्राचीनकाल में अन्तरजातीय विवाह प्रचलित थे। लेकिन वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लेने पर अन्तर्विवाह (Endogamy) के कठोर नियम बना दिये गये।

वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं ने सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन की गति को तीव्र कर दिया है अर्थात जाति, विवाह एवं परिवार के पारम्परिक नियम–उपनियमों की व्यवस्था को परिवर्तित रूप में बनाऐ रखने के लिए वैश्वीकरण ने विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किये है। व्यक्ति संस्थाओं के प्रति अपने स्वयं के विचारों में परिवर्तन लाने लगा है। भारतीय समाज में विवाह से सम्बन्धित नियम जैसे – अन्तर्विवाह ;मदकवहंउलद्ध संबंधी नियम पहले काफी कठोर थे यह अब शिथिल व परिवर्तित होने लगें है। अनुभविक आधार पर यह कहा जा सकता है कि कस्बों शहरों एंव महानगरों में अन्तरजातीय विवाह और अन्तरधर्म विवाहों का प्रचलन बढ़ा है।

अब व्यक्ति व समाज अन्तरजातीय विवाह को सामान्य सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार करने लगें है अब जातीय सदस्य आर्थिक और राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होने लगें है। संचार साधनो का उपयोग ग्रामीण व्यक्ति भी बहुलता से करने लगा है जिससे ग्रामीण समाज व समुदाय में भी व्यक्तियों के विचार व मनोवृत्तियाँ संस्थाओं के प्रति परिवर्तित हुए है इसके प्रभाव

*Corresponding Author: डॉ. राजेश कुमार मीणा

से ग्रामीण समाज व समुदाय में भी अन्तरजातीय विवाह सम्पन्न होने लगे है।

लेकिन ग्रामीण समाज में अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने वाले कारक आर्थिक व सामाजिक प्रभुत्व है ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई प्रभुत्वशाली जाति सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य अन्तरजातीय विवाह करता है तो व्यक्तियों व समुदाय द्वारा मौन विरोध द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। लोग आर्थिक व राजनैतिक प्रभुत्व के आधार पर अन्तरजातीय विवाहों का प्रतिरोध करने का निर्णय करतें है परिवारजनों की सोच. में भी परिवर्तन आया है योग्य वर – वधू के चुनाव में जाति को कम महत्व देने लगे है सामान्यतः लड़कों–लड़कियों द्वारा किया गया अन्तरजातीय विवाह परिवारजनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है सरकार द्वारा अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन व युग्मों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न कानूनी व्यवस्था बनाई गई है।

उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं में अन्तरजातीय विवाह करने का प्रचलन बड़ा है इसका मुख्यतः कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा रोजगार के अधिक विकल्पों का उपलब्ध कराना है इस कारण युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण परिवारजनों पर निर्भर नहीं रहते और अपने जीवन साथी के लिए भी निर्णय स्वयं लेने लगे है।

1954 का विशेष विवाह अधिनियम द्वारा विभिन्न धर्मो एवं जातियों के लोगों को परस्पर विवाह की व्यवस्था तथा 21 वर्ष का लड़का 18 वर्ष की लड़की अपनी इच्छा से विवाह कर सकते है।

इन वैधानिक अधिकारों के फलस्वरूप वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था में अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला है अन्तरजातीय विवाहों के प्रति विभिन्न वर्गो की स्त्रियों का रूझान बढ़ा है। वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समानता जैसे मूल्यों के प्रति जागरूक हुई हैं।

सरकार ने 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति भी अपनाई है जिससे महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके कि वे अपने घरों के भीतर तथा बाहर पुरूषों के बराबर अपने अधिकारों का खुलकर उपयोग कर सकें।

अन्तरजातीय विवाह के प्रति आधुनिक दृष्टिकोणः–

अन्तरजातीय विवाह करने वाले लोगों को अब समाज में इज्जत मिलने लगी है। बॉलीवुड सितारों से लेकर आज समाज का हर वर्ग कास्टिज्म को महत्व नहीं दे रहा है। खासतौर से विवाह जैसे पवित्र रिश्तें के लिए अब जाति के मायने पहले जैसें नहीं रह गए है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम विवाह ही अन्तरजातीय होते हैं बल्कि आज समाज के कई प्रबुद्ध और पढ़े–लिखे लोग तो अरेंज्ड मैरिजेज में भी कास्ट को अहमियत नहीं देते हैं।

इस बात का अंदाजा मैट्रीमोनियल साइट्स और मैरिज ब्यूरों में कास्ट की बजाय दूसरी चीजों को दी जाने वाली तरजीह को देखकर लगाया जा सकता है। ''टाइम्स नाऊ'' द्वारा मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकत्ता और बंगलौर में कराए गए एक सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत पुरूष और 64 प्रतिशत महिलाएं यह मानते हैं कि अन्तरजातीय विवाह होने चाहिए और सरकार को इसे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

शादी पाँइन्ट के अधिकारी कहते हैं कि इन दिनों उनके पास शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने आने वाले परिवार कास्ट को अहमियत नहीं देते हैं और 40 प्रतिशत लोग इंटरकास्ट मैरिज ही को प्रिफरेंस दे रहें हैं। कानूनी नजरिए से भी इंटरकास्ट मैरिज करना गलत नहीं है। हाल ही में *जस्टिस अशोक भान और जस्टिस मारकन्डे काटजू* की पीठ ने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को यह हिदायत दी कि वह ऐसे लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान कराए जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है।

जस्टिस काटजू का कहना है ''यह कास्ट सिस्टम ही है जो हमारे देश को अलग–अलग हिस्सों में बांट रहा है। इंटरकास्ट मैरिजेज को बढ़ावा देकर हम समाज में बढ़ रहे कास्ट सिस्टम को खत्म कर सकतें है।

इसके अलावा यह भी गौरतलब है कि मिकस्ड मैरिज के बच्चों का कॉग्नेटिव स्किल और रीजनिंग पावर उन बच्चों से कहीं अच्छा होता है जो एक ही कास्ट में शादी करते हैं। रिसर्च इस बात की पुष्टि करते हैं। मिकस्ड मैरिजेज होने पर कपल्स दो अलग भाषाओं को भी सीख लेते है और उन्हें अपने देश की विविधता वैश्वीकरण एक बहु–आयामी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थानीय व वैश्वीय समाज के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित किया गया है इसकें द्वारा स्थानीय और वैश्वीय सम्बन्धों का दायरा (क्षेत्र) बढ़ा है समाजशास्त्रीय नजरीय से देखें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक सम्बन्धों को गहरा और घनिष्ठ किया है वैश्वीकरण आर्थिक प्रक्रिया के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है।

वैश्वीकरण के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न संस्थाओं के नियम–उपनियमों या कार्यप्रणालियों में परिवर्तन व संशोधन उत्पन्न हुआ है संस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण लोगों की सोच का क्षेत्र (दायरा) स्थानीय से वैश्वीय समाज के अनुसार होने लगा है। इस परिवर्तन के लिए मुख्यतः कारक संचार साधनों में वृद्धि, सूचना तकनीक और आवागमन के साधन है।

वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं ने सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन की गति को तीव्र कर दिया है अर्थात जाति, विवाह एवं परिवार के पारम्परिक नियम–उपनियमों की व्यवस्था को परिवर्तित रूप में बनाऐ रखने के लिए वैश्वीकरण ने विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किये है। व्यक्ति संस्थाओं के प्रति अपने स्वयं के विचारों में परिवर्तन लाने लगा है। भारतीय समाज में विवाह से सम्बन्धित नियम जैसे – अन्तर्विवाह (endogamy) संबंधी नियम पहले काफी कठोर थे यह अब शिथिल व परिवर्तित होने लगें है। अनुभविक आधार पर यह कहा जा सकता है कि कस्बों शहरों एंव महानगरों में अन्तरजातीय विवाह और अन्तरधर्म विवाहों का प्रचलन बढ़ा है।

अब व्यक्ति व समाज अन्तरजातीय विवाह को सामान्य

सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार करने लगें है अब जातीय सदस्य आर्थिक और राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होने लगें है। संचार साधनो का उपयोग ग्रामीण व्यक्ति भी बहुलता से करने लगा है जिससे ग्रामीण समाज व समुदाय में भी व्यक्तियों के विचार व मनोवृत्तियाँ संस्थाओं के प्रति परिवर्तित हुए है इसके प्रभाव से ग्रामीण समाज व समुदाय में भी अन्तरजातीय विवाह सम्पन्न होने लगे है।

लेकिन ग्रामीण समाज में अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने वाले कारक आर्थिक व सामाजिक प्रभुत्व है ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई प्रभुत्वशाली जाति सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य अन्तरजातीय विवाह करता है तो व्यक्तियों व समुदाय द्वारा मौन विरोध द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। लोग आर्थिक व राजनैतिक प्रभुत्व के आधार पर अन्तरजातीय विवाहों का प्रतिरोध करने का निर्णय करतें है परिवारजनों की सोच. में भी परिवर्तन आया है योग्य वर – वधू के चुनाव में जाति को कम महत्व देने लगे है सामान्यतः लड़कों–लड़कियों द्वारा किया गया अन्तरजातीय विवाह परिवारजनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है सरकार द्वारा अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन व युग्मों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न कानूनी व्यवस्था बनाई गई है।

उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं में अन्तरजातीय विवाह करने का प्रचलन बड़ा है इसका मुख्यतः कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा रोजगार के अधिक विकल्पों का उपलब्ध कराना है इस कारण युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण परिवारजनों पर निर्भर नहीं रहते और अपने जीवन साथी के लिए भी निर्णय स्वयं लेने लगे है।

2. शोध पद्धति

किसी भी अध्ययन के लिये विषय से संबंधित गहन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है सामाजिक अध्ययनों की बुनियादी शर्त अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्यों का संकलन है। प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों एवं द्वितीयक तथ्यों दोनो को संकलित किया गया है।

3. शोध का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि इससे अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं की समस्याएं, इनके वैवाहिक जीवन की सफलता का पता लगाया जा सके तथा वर्तमान में अन्तरजातीय विवाहों में वृद्धि हो रही है इस वृद्धि के क्या कारण हैं इन्हे ज्ञात करने मे सहायक होगा।

कानून द्वारा अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है अतः अध्ययन के माध्यम से अन्तरजातीय विवाहों के लिये कानूनी स्थिति और सामाजिक वास्तविकता के बीच अन्तर पता किया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन जाति, जातिवाद, पारिवारिक सम्बन्धों, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और महिला प्रस्थिति पर अन्तरजातीय विवाहों से क्या प्रभाव पड़ा है इन्हे ज्ञात करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन से अन्तरजातीय विवाह के प्रति सामाजिक स्वीकृति में क्या परिवर्तन आया है। इसे स्पष्ट किया जा सकेगा साथ ही प्रस्तुत अध्ययन भविष्य में अन्तरजातीय विवाह और अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं पर बनने वाली नीतिओं नियमों के लिये भी महत्वपूर्ण दिशा सूचक होगा।

4. अन्तरजातीय विवाह का प्राचीन स्वरूप

हिन्दू विवाह संस्कार की संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक नियम भी बनाये गये थे। ये इस प्रकार है–

बहिर्विवाह (Exogamy) इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़े समूह के भीतर है जो छोटे छोटे उपसमूह होते हैं उनमें परस्पर विवाह न हों। इसके अन्तर्गत एक ही गोत्र (सगोत्र), एक ही प्रवर (सप्रवर) तथा एक ही पिण्ड (सपिण्ड) में विवाह नहीं हो सकता था। आजकल इस नियम में सगोत्र को तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया जाता है, अन्य निषेध लुप्त हो गये है।

अन्तर्विवाह (Endogamy) इसके अन्तर्गत अपने ही वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि) अथवा अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक था। जो व्यक्ति अपने वर्ण या जाति से बाहर विवाह करता था, वह पाप का भागी माना जाता था। इसी अन्तर्विवाह का दूसरा नाम सवर्ण विवाह था। आजकल सवर्ण विवाह भी आवश्यक नहीं रह गये है।

अनुलोम और प्रतिलोम विवाह

- **अनुलोम विवाहः** जब निम्न वर्ण, जाति, उपजाति अथवा कुल की लड़की का विवाह उसी के समान अथवा उससे उच्च वर्ण, जाति, उपजाति या कुल में किया जाये तो ऐसे विवाहों को अनुलोम विवाह कहते है।
- **प्रतिलोम विवाहः** प्रतिलोम का अर्थ जब उच्च कुल, जाति अथवा वर्ण की लड़की का निम्न कुल या वर्ण के लड़के से विवाह है। डॉ कापड़िया के अनुसार एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था और इसकी घोर निन्दा होती थी।

5. विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954

- विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतर–धार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है।
- यह एक नागरिक अनुबंध के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपनी शादी विधिपूर्वक करने की अनुमति देता है।
- अधिनियम के तहत किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वहन की आवश्यकता नहीं होती।
- इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध विवाह शामिल हैं।
- यह अधिनियम न केवल विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नागरिकों पर बल्कि विदेशों में रहने वाले

भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।

6. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ भिन्नता

सर्वोच्च न्यायालय ने शफीन जहान बनाम अशोक केएम (2018) मामले में अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखा है।

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, संविधान प्रत्येक व्यक्ति की जीवन–शैली या विश्वास का पालन करने की क्षमता को सुरक्षित करता है जिसका वह पालन करना चाहता है।
- इसलिये अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
- इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम यूओआई (2017) के फैसले ने ष्पारिवारिक जीवन के चुनाव के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना है।
- पितृसत्तात्मकरू इससे पता चलता है कि कानून की जड़ें पितृसत्तात्मक हैं, जिसमें महिलाओं को माता–पिता एवं सामुदायिक नियंत्रण में रखा जाता है और यहाँ तक की जीवन के निर्णय लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है, अगर वे निर्णय उनके अभिभावकों को स्वीकार्य न हो किसी भी कानून को शामिल करने से बचने के लिये मानसिक और सामाजिक स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की स्वीकृति होनी चाहिये।
- अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिये, केवल विवाह हेतु धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है।

संन्दर्भ ग्रीन्थ सुची

1. प्रमेश कुमार, ''समाज में जाति तथा वर्ण संबंध'' 2010, आर्या पब्लिकेशन, दिल्ली।
2- शोभा राजोरिया, ''महिला और कानून'' 2011, BLUE STAR INDORE (M.P)
3. डॉ. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन ''नातेदारी, विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्र'' 2009, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
4. एच0 चक्रवर्ती, ''भारत में हिन्दू अन्तरजातीय विवाहः प्राचीन और आधुनिक 1999, शारदा प्रकाशन, दिल्ली
5. हरिकृष्ण रावत, ''समाजशास्त्रीय चिन्तक एवं सिद्धान्तकार'' 2001, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।
6. एस0एल0दोषी, आधुनिकता, उन्तर – आधुनिकता एवं नव–समाजशास्त्रीय सिद्वान्त 2002 रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।
7. डॉ. औतार लाल, ''धर्मशास्त्र – परम्परा एवं वर्तमान विधि में नारी अधिकार'' 2001 राजश्री प्रकाशन, जोधपुर (राज.)
8. प्रीति प्रभा गोयल, ''भारतीय नारी विकास की और '' 2005, राजश्री प्रकाशन, जोधपुर (राज.)
9. डॉ. सुनील आसोपा, ''सूचना का अधिकार'' 2010, एपेक्स पब्लिशिंग हाऊस, उदयपुर–जयपुर
10. वीना गर्ग, ''सामाजिक विज्ञान में शोध विधियां'' 2011, आर्या पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
11. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, ''सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी 2001, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
12. मोती लाल गुप्ता, ''भारत में समाज'' 1997, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
13. डॉ. जे. पी. पंचौरी, ''विकास एवं नियोजन का समाजशास्त्र'' 2004, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर
14. आशारानी बोहरा, ''नारी शोषणः आइने और आयाम'' 2008, नेशनल पब्लिकेशन्स हाऊस, जयपुर।
15. सेठी, राजमोहिनी, ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एवं विमैंस डेवलपमैंट 1999, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
16. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
17. विशेष विवाह अधिनियम 1954
18. भारत का संविधान 1950
19. छोटाराम कुम्हार, सामाजिक न्याय की अवधारणाः परम्परा एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में VOL- VI, 2007-08 दर्शनशास्त्र विभाग, ज.ना.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
20. रामनारायण एवं नाथूलालः भारत में लैंगिक असमानता और लुप्त होती महिलाऐं, टवस.ट 2006–07 दर्शनशास्त्र विभाग, ज.ना.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
21. इण्डिया टुडे, राजस्थान पत्रिका, इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स।
22. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ''विवाह पंजीयन रिकोर्ड, कार्यालय नगर–निगम, अजमेर।